इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 314] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 जून 2017—आषाढ़ 9, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 30/06/2017

क्रमांक एफ ए 3-31/2017/1/पांच (61)

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 23 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, माल और सेवा कर परिषद् की अनुशंसा पर, एतद्द्वारा, उन व्यक्तियों को, जो केवल कर योग्य माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय में लगे हुएं, हैं जिस पर कुल कर, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्राप्तिकर्ता द्वारा विपरीत प्रभार के आधार पर भुगतान का दायी है, पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट प्राप्त व्यक्तियों प्रवर्ग के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई 2017 से प्रवृत्त होगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

क्रमांक एफ ए 3–31/2017/1/पांच भोपाल, दिनांक 30/06/2017

भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3– 31 /2017/1/पांच (61), दिनांक 30 जून, 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रसारित किया जाता है

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

NOTIFICATION

No. F A-3/31 /2017/1/IV (61) Bhopal, dated -- 30 June, 2017

In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 23 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 19 of 2017), the State Government, on the recommendation of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Council, hereby, specifies the persons who are engaged only in making supplies of taxable goods or services or both, the total tax on which is liable to be paid on reverse charge basis by the recipient of such goods or services or both under sub-section (3) of section 9 of the said Act as the category of persons exempted from obtaining registration under the aforesaid Act.

2. This notification shall deemed to have come into force on 1st july 2017.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ARUN PARMAR, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.